संख्या-172/2026/आई0/1425660/2026-5-6099/121/2023-6

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ :दिनांक 10 अगस्त, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-01-110-04 तथा लेखाशीर्ष-2210-03-110-10 के मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-29फ/10(76)26/306, दिनांक 06.07.2026 तथा शासनादेश संख्या-121/2026/आई0/1314759/2026-5-6099/121/2023-6, दिनांक 30.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 30.04.2026 द्वारा अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-01-110-04 के मानक मद-29-अनुरक्षण में रूपये 10000.00 लाख तथा लेखाशीर्ष-2210-03-110-10 के मानक मद-29-अनुरक्षण में रूपये 7000.00 लाख, इस प्रकार कुल रूपये 17000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि को छोडकर अन्य राजस्व मदों में प्राविधानित धनराशि की एकमुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक 06.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्ययोजना सहित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिकानुसार वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रूपये 14,44,18,731/- (चौदह करोड चौवालिस लाख अट्ठारह हजार सात सौ इकत्तीस मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-10-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रूपये 8,67,03,350/- (आठ करोड सडसठ लाख तीन हजार तीन सौ पचास मात्र) अर्थात कुल

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रूपये 23,11,22,081/- (तेईस करोड ग्यारह लाख बाईस हजार इक्यासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0सं0	**लेखाशीर्षक**	**प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	2210-01-110-04	14,44,18,731/-
2	2210-03-110-10	8,67,03,350/-
कुल योग		**23,11,22,081/-**
रूपये तेइस करोड़ ग्यारह लाख बाईस हजार इक्यासी मात्र		

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 तथा शासनादेश संख्या-121/2026/आई0/1314759/2026-5-6099/121/2023-6, दिनांक 30.04.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का व्यय उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 14,44,18,731 (रुपये चौदह करोड़ चौवालीस लाख अठारह हजार सात सौ इकतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 2210011100400 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय **मानक मद-**29-अनुरक्षण (*2*) रुपये 8,67,03,350 (रुपये आठ करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान**

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या 032 **लेखा शीर्षक** 2210031101000 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय **मानक मद**-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन ।
6. समस्त् जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार/मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/वी0बी0डी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।